RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

ग्रामीण महिला उद्यमियों का सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण

आशीष कुमार,
पीएच.डी. शोध छात्र,
व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सार

राष्ट्र का निर्माण ग्रामीण महिलाओं के बिना अल्पनीय है। जबकि सामाजिक सशक्तीकरण महिलाओं के आर्थिक विकास के बिना सम्भव नहीं है। उभरती आर्थिक शक्ति देश की कुल आबादी में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। जिसमें ग्रामीण महिला उद्यमियों की संख्या लिखित रूप से बहुत कम है। किन्तु ग्रामीण स्तर पर पता चलता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है। आर्थिक सशक्तीकरण में भारत एशिया में 15वें स्थान पर है। इसे ध्यान में रखकर ग्रामीण विषमता राष्ट्र के सन्तुलित विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा उद्यमिता को भारत में विकसित किया जा रहा है। इस शोध लेख में ग्रामीण महिला उद्यमियों का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन किया गया जिसमें महिला उद्यमियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है।

कुन्जी शब्द उद्यमशीलता, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास।

परिचय

ग्रामीण महिला उद्यमियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण का अर्थ है कि महिलाओं सम्बन्धी समस्याओं की पूरी जानकारी के लिए उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को दूर कर अवसर प्रदान करना, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी में को बढ़ावा देना ताकि महिलाओं में उद्यमशीलता की गुणवत्ता का विकास हो जिससे भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण महिला उद्यमियों को व्यापक रूप से सशक्त एवं मजबूत किया जा सके। लघु उद्यम एवं लघु विकास कार्यक्रम की महिलाओं के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्यमियों पर निवेश करता है। अधिकतम 10 से 25 लाख रूपये सेवा क्षेत्र में निवेश किये जा सकते हैं।

महिलाओं में उद्यमशीलता का विकास

उद्यमशीलता एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के रख–रखाव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नवाचार व रचनात्मकता से परिपूर्ण है जो बेहतर आर्थिक के विकास का कारण बन सकता है जो कि ग्रामीण महिला उद्यमियों की आर्थिक गतिविधियों और उद्यमिता के लिए विभिन्न रूप से सहायक है। गरीबी उन्मूलन के एक सशक्त साधन के रूप में लघु उद्यमों के विकास से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है। गरीब ग्रामीण महिला उद्यमियों को लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यमों के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाएं एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इससे गरीब महिलाओं को स्थानीय संस्थानों और बाजार पर आधारित सामूहिक गतिविधियों में संलग्न किया जा सकता है।

महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

किसी भी राष्ट्र, राज्य व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्य क्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, शिक्षा एवं कौशल विकास आदि बातों पर निर्भर करता है। ग्रामीण महिलाएं किसी भी राष्ट्र का विशिष्ट मानव संसाधन हैं। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सभी स्तरों पर देश की प्रगति में भारतीय महिलाओं ने निर्विवाद रूप से सहयोग किया है किन्तु राष्ट्रीय विकास की प्रमुख गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका विशेष है। आर्थिक विकास सामाजिक संरचना से भी प्रभावित होता है। यदि हम आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की व्यावसायिक संरचना पर दृष्टिगत करें तो हमें ज्ञात होता है कि सर्वाधिक ग्रामीण महिला लगभग 60 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुईं हैं तथा 9 प्रतिशत महिलाएं सेवा क्षेत्र में लगी हुई हैं। अतः विश्व भर में आर्थिक गतिविधियों की ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। लघु उद्यम विकास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण उद्यमियों द्वारा रोजगार प्रदान करने अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिनमें स्वैच्छिक महिला संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं गृह उद्योगों की विशेष भूमिका है तथा ग्रामीण महिला उद्यमियों के जागरुकता व कौशल में सुधार कर उद्यमियों को विकास के लिए प्रेरित करने और उसे प्रत्येक दौर में ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में उनके विकास के लिए अभिप्राय बनेगी।

अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों की बहुत ही सराहनीय भूमिका है। जिसको ग्रामीण स्तर पर मजबूत कर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे सकते हैं जिसके लिए इस क्षेत्र में कुशल उद्यमियों की जरुरत महसूस होती है जिसमें महिला उद्यमियों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। जो ग्रामीण स्तर पर इन उद्यमों का एक अंग बनी हुयी है। किन्तु आज उनकी स्थिति दयनीय है जिससे सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग बिमारियों का शिकार हो रहे हैं। जिसमें मुख्य तौर से गृह उद्योग, खादी उद्योग एवं स्वयं सहायता समूह आदि को विकसित करने के लिए महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है।

शोध उद्देश्य

1. महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना है।
2. महिला उद्यमियों की सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में भूमिका।
3. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की ग्रामीण विकास में भूमिका।
4. ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

यह शोध लेख ग्रामीण महिला तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में अन्वेषणात्मक अध्ययन का एक प्रयत्न है जहां महिला उद्यमियों, ग्रामीण विकास एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में महिला सशक्तीकरण के व्यावहारिकता को उजागर किया गया है।

आंकड़ा संकलन

इस शोध लेख में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अवलोकन, पार्टिसिपेट्री रुरल अप्रेज़ल एवं विभिन्न प्रकार के द्वितीय आंकड़ों (सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और शोध लेख) का प्रयोग किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों में महिला उद्यमियों की भूमिका

लघु उद्यम विकास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिला उद्यमियों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है और इस प्रकार वे अपनी आय और जीवन–स्तर में सुधार ला

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

सकती हैं। लघु उद्यम विकास एक उभरती हुई प्रक्रिया है जो कम पूंजी, कम जोखिम और शुरुआत में कम लाभ के साथ आरम्भ होती है। लघु उद्यम विकास से महिला उद्यमियों की आर्थिक स्थिति का पोषण गरीबी उन्मूलन का एक सशक्त साधन है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की बढ़ती संख्या आय उत्पादन के माध्यम से व्यापार स्थापित करती है और तभी ये उद्यम आगे बढ़ेंगे और बड़े स्थापित उद्यम बन जायेंगे। इनमें से अनेक महिला उद्यमियो के लिए खासतौर पर गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए इनके व्यापार बहुत छोटे बने रहेंगे और आमतौर पर इन्हें लघु उद्यम कहा जाता है। महिलाओं के लघु उद्यम बड़े पैमाने पर आर्थिक अनिवार्यता से फलते–फूलते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण या कुशलता का उन्नयन आमतौर पर महिलाओं के व्यापार उद्यम के आरंभिक चरण की पूर्व आवश्यकता है। यहां तक कि स्थापित व्यापार के स्वामियों को भी एक व्यापार विचार के व्यावहारिक कार्यान्वयन में शामिल अनिवार्य तकनीकी जानकारी नहीं होती है। जबकि ऋण योजनाओं और उद्यमशीलता प्रशिक्षण की उपलब्धता महिलाओं के लिए अब भी बहुत सीमित है।

महिला उद्यमियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण

समाज के गरीब वर्गों में महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है क्योंकि महिला उद्यमी परिवार व समाज की ऐसी सदस्य होती हैं, जिनके कंधों पर आने वाली पीढ़ियों की परवरिश की जिम्मेदारी होती है। महिलाएं गरीबी और सामाजिक उत्पीड़न से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। सरकार व स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयंसहायता समूह के माध्यम से महिला उद्यमियों का सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्तीकरण कर रहे हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला उद्यमियों ने मेहनत व लगन के बल पर यह साबित कर दिया है। सरकारी संगठनों की सहायता एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, स्वयंसहायता समूहों स्वैच्छिक संगठनों के साथ जुड़कर एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में स्वयंसहायता समूह सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाता है कि महिलाएं घर–गृहस्थी का काम निपटाने के बाद स्वयंसहायता समूह में काम करती हैं। समूहों में कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से हमेशा सहयोग प्राप्त होता है।

महिला उद्यमियों के विकास में बाधक कारक

1. सामाजिक कारक

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है क्योंकि यह समाज पुरुष प्रधान होने के नाते महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में आने से पीछे करता है जिससे वह सामाजिक बंधनों, रूढ़ितावादी परंपराओं एवं धार्मिक अन्धविश्वासों में बंधकर रह गयीं हैं। जिससे उनमें शैक्षिक एवं कौशल विकास के साथ–साथ आत्मविश्वास की कमी होती है जिसके कारण उनके सामाजिक विकास में बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है।

2. आर्थिक कारक

महिलाओं में उद्यमशीलता एवं कौशल विकास की गुणवत्ता विकसित न होने के कारण उनको अपने पति या परिवार पर निर्भर होना पड़ता है जिससे उनमें स्वयं की प्रबन्ध कौशल नगण्य हो जाती है। जो ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बहुत ही बाधक बनती हैं।

3. राजनैतिक कारक

महिलाओं की राजनीति की मुख्यधारा में कमी होने के कारण राजनैतिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती या उनका राजनैतिक नेतृत्व नहीं हो पाता जिससे सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उनके कौशल का उद्यमशीलता के लिए अनुचित प्रयोग होता है तथा उनके अनुसार सरकारी नीतियां भी नहीं बन पाती।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

महिला उद्यमियों के विकास के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी सहायता

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और उद्यमिता विकास के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठन सक्रिय हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य वित निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिला उद्योग केंद्र, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राज्य लघु औद्योगिक विकास निगमों द्वारा वित्तीय सहायता कर रहे हैं। नेहरू रोजगार योजना, ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए (ट्राईसेम) योजना, प्राथमिकता क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, माइक्रो क्रेडिट, स्वयंसहायता समूहों इत्यादि के द्वारा महिला उद्यमियों में सूक्ष्म आर्थिक सशक्तीकरण संभव है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 2008 को की गयी, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 25.00 लाख रु. के पूंजी निवेश के साथ (जिसमें 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी है) सूक्ष्म परियोजनाओं की स्थापना कार रोजगार सृजन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य्रक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) एक अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में उभर कर आया है, वर्तमान में पीएमईजीपी सरकारी क्षेत्र की सबसे आकर्षक योजना है जिसमें सर्वाधिक केन्द्रीय सब्सिडी दर शामिल है। देश भर के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों से इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है और वर्ष 2010–11 के दौरान इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से 4. 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण महिला उद्यमिता सशक्तीकरण

वर्ष 1975 को ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष'' के रूप में मनाये जाने के पश्चात् सरकार ने विशेष प्रयास किये। महिलाओं को सशक्त अधिकार सम्पन्न व जागरुक बनाने हेतु देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो इसके साथ ही संविधान में महिलाओं को परंपरागत बन्धनों से विमुक्त कराने के लिए विशेष प्रावधान किये गये। वर्ष 1991 में 73वें संविधान संसोधन के माध्यम से देश की पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिया।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए उठाये गये कदम

1. 1995 में इन्दिरा महिला योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं में क्षमता निर्माण, महिला जागरुकता तथा उनकी आय के साधनों के विकास को प्राथमिकता दी गयी है।

   निर्धन ग्रामीण महिलाओं के आय स्तर में अभिवृद्धि के लिए परम्परागत क्षेत्रों में उनके कौशल अभिवृद्धि व उन्नयन के लिए 'महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता' (स्टेप) कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्धन ग्रामीण महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, खादी व ग्रामोद्योग, सामाजिकम वानिकी आदि परम्परागत क्षेत्रों में दक्षता व कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं की उत्पादकता व आय में वृद्धि होने से वे अपने परिवार का भरण–पोषण भली–भांति कर रही हैं।
2. महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 मे घोषित 'महिला स्वयंसिद्ध योजना' के अन्तर्गत स्वयंसहायता समूहों के गठन के माध्यम से विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु 'स्वर्णिम योजना' को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को अत्यन्त अल्प ब्याज दर पर 50 हजार रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है।

इन ऋणों का उत्पादक व सार्थक उपयोग करते हुए ये गरीब महिलाएं स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। यही नहीं, इन ऋणों को 12 वर्ष की लम्बी अवधि तक चुकाने का प्रावधान है।

3. महिला डेयरी योजना के तहत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत व मजबूत की जा सके। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

   राष्ट्रीय महिला कोष भी ग्रामीण गरीब महिलाओं को उत्पादन कार्यों हेतु ऋण तथा अल्पवित्त की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा सामाजिक संगठनों, सहकारी समितियों, महिला विकास निगमों आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। इस कोष के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं यथा ऋण संवर्धन योजना, मुख्य ऋण योजना, चक्रीपन निधि योजना, फ्रेंचाइजी योजना, गोल्ड क्रेडिट पासबुक योजना, आवासीय ऋण योजना, परिवार ऋण योजना, पुनर्वित पोषण योजना संचालित की जा रही है। निःसन्देह रूप से ये सब योजनाएं ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित हो रही है।
4. विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रायोजित 'स्वशक्ति परियोजना' को बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात व मध्यमप्रदेश के 35 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्व–सहायता दलों का गठन करके इनके माध्यम से ग्रामीण महिला सशक्तीकरण हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना है।
5. महिलाओं के लिए रोजगार–सह–आयोत्पादक एकक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीण महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार लाने हेतु इन महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर–पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करके, उनको रोजगार प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. विश्व में भारत प्रथम देश है जिसने रोजगार को कानूनी अधिकार का दर्जा देते हुए अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित करने का साहसिक कदम उठाया है। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रामीण महिला उद्यमिता सशक्तीकरण एवं सामाजिक आर्थिक विकास विकसित भारत के ऐसे पहलू हैं जिनकों हम अस्वीकार नहीं कर सकते तथा समावेशीय विकास के लिए हमें उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास की नीतियों एवं संचालन का विशेष ध्यान रखा जाय जिससे हम ग्रामीण भारत को विकसित कर सकें। उपरोक्त शोध में यह साबित होता है कि ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमिता की स्थिति अच्छी न होने के कारण सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योगों को विकसित नहीं किया जा सकता। अतः महिला उद्यमिता को विकसित करने के लिए सामाजिक व आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिए।

1. महिलाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए शिक्षा के साथ–साथ उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

2. महिलाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
3. महिलाओं को सामाजिक परिदृश्य में आत्मविश्वास एवं खुद से विकसित होने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में कार्यरत महिला उद्यमियों को विशेष रूप से बढ़ाया एवं उन्हें पुरस्कृत करके सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

सन्दर्भ सूची

1. शुक्ला, माता बादल, ***''उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्धन'',*** किताब महल, नई दिल्ली, (अंग्रेजी संस्करण).
2. देसाई, वसंत, ***''उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय की बुनियादी बातें'',*** हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, (अंग्रेजी संस्करण).
3. धमेजा, एस. के., ***''महिला उद्यमिता : चुनौतियां एवं सम्भावनाएं''*** नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप 2002 (अंग्रेजी संस्करण).
4. सिंह, कमला, ***'' महिला उद्यमिता'',*** किताब, नई दिल्ली, आशीष, 1992, (अंग्रेजी संस्करण).
5. विन्जे, मेधा दुभाषी, ***''भारत में महिला उद्यमिता :*** (ए सोसियो एकोनॉमिक स्टडी ऑफ देलही), दिल्लीः मित्तल, 1987. (अंग्रेजी संस्करण).
6. चौधरी, डॉ कृष्ण चन्द्र, ***''ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण'',*** कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2013. (हिन्दी संस्करण)
7. मोदी, डॉ अनीता, ***''ग्रामीण महिला सशक्तीकरण : सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां''***, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2013. (हिन्दी संस्करण)